3/07

निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 पौष 1928 (श०)

(सं० पटना 46) पटना, शुक्रवार, 12 जनवरी 2007

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

11 जनवरी 2007

सं० एल०जी० 1-0-10/2006।लेज:—08—बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 4 जनवरी 2007 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मो० अकरम रिजवी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 3, 2007]

बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) (संशोधन) अधिनियम 2006

बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) अधिनियम 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) (संशोधन) अधिनियम 2006 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा 2 का संशोधन।—इस अधिनियम की धारा 2(क) के बाद निम्नलिखित (क)(1) (क)(2) एवं (क)(3) जोड़े जायेंगे :—

(क1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) अधिनियम, 2006

(क2) "अध्याय" से अभिप्रेत है बिहार आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) अधिनियम, 2006 का अध्याय;

(क3) "धारा" से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा।

3. बिहार अधिनियम 8, 2006 के शीर्षक का संशोधन—इस अधिनियम के शीर्षक के कोष्टक में प्रयुक्त शब्द "अनेबलिंग" शब्द "इनेबलिंग" एवं तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "विशेष परियोजना जोखिम" शब्द "परियोजना के जन जोखिम" द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा 1 का संशोधन।—अधिनियम की धारा-1 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त "संरचना विकास" के बाद शब्द "सामर्थ्यकारी" अंतःस्थापित किया जायगा।

5. बिहार अधिनियम 8, 2006 के अध्याय II के शीर्षक का संशोधन।—अधिनियम के अध्याय II के शीर्षक में प्रयुक्त अंतिम शब्द "आधारभूत प्राधिकार का गठन" विलोपित किये जायेंगे।

6. बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा 19 का संशोधन।—अधिनियम की धारा 19 के उप-शीर्षक "III प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग" के तुरंत बाद एवं धारा 20 के पूर्व निम्नांकित खंड (I) से (VII) जोड़े जायेंगे :—

(*i*) सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा प्रारंभ की गई सभी परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग अपनाई जायेगी। सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय द्वारा यथा विहित सूचना बिडिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की जायगी।

(*ii*) विकासकर्त्ता के तकनीकी वित्तीय प्रबंधकीय एवं वाणिज्यिक क्षमताओं की जानकारी प्राप्त करने तथा सहायता प्रदान करने के दृष्टि से बिडिंग प्रक्रिया अधिकथित की जायेगी।

(*iii*) मेगा आधारभूत संरचना आधारित परियोजनाओं के लिए दो स्तरीय प्रक्रिया अपनाने की स्थिति में सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय सभी बिडरों से उनके सभी वित्त पोषण करने वालों से वित्तीय शर्तों, सरकारी सहायता के संबंध में अपेक्षाओं एवं रियायती एकरारनामों पर मंतव्य एवं अन्य परियोजना—दस्तावेजों की मांग कर सकेगा, जो तत्पश्चात् अतिरिक्त विचलन (डेभिएशन) प्रस्ताव माना जायगा।

(*iv*) कोई अतिरिक्त प्रस्तावित विचलन (डेभिएशन) अलग लिफाफा में दिया जायेगा और वह परियोजना के वित्तीय एवं वाणिज्यिक ऑफर का हिस्सा नहीं होगा। इस प्रकार के सामान्य विचलन प्रस्ताव का नियतन एवं ऐसे विचलन प्रस्तावों को प्रभावकारी बनाने की प्रक्रिया नियत की जायेगी।

(*v*) सभी प्रस्ताव आम स्थान पर पारदर्शिता रखते हुए सही तरीके से खोले जायेंगे।

(*vi*) सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय परियोजनाओं की जटिलताओं के आधार पर एक या द्वि-पद्धति प्रक्रिया अपना सकेंगे।

(*vii*) सरकारी अभिकरण या स्थानीय निकाय सभी स्तरीय बिड प्रक्रिया के माध्यम से ली गई परियोजनाओं की प्रगति आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को कालबद्ध तरीके से सूचित करेगी।

7. बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा 26 का संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा-26 में प्रयुक्त शब्द "विचार विमर्श कर सकेगा" शब्द "विचार-विमर्श नहीं कर सकेगा" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

8. बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा-40 का प्रतिस्थापन ।—बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा-40 निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा— निर्वाचक बोर्ड के समक्ष कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता-1860 (अधिनियम 1860 XLV) की धारा-193 एवं 228 के अधीन न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-195 तथा अध्याय XIV के अधीन सिविल कोर्ट समझा जाएगा ।

9. बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा-52 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा-52 की उप-धारा (1) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "हेतु" शब्द "पर" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

धारा-52 की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित की जायेगी :—

"(2) इस धारा के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व आधारभूत सरचना विकास प्राधिकार विकासकर्त्ता को नोटिस प्राप्ति की तिथि से कम-से-कम 15 दिनों का अवसर सहित कारण पृच्छा की लिखित सूचना देगा कि इस तरह का प्रदूषण दंड विकासकर्त्ता पर क्यों नहीं लगाया जाय" ।

10. बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा-54 का संशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा-54 के अंत में प्रयुक्त शब्द "उत्तरदायित्व" शब्द "उत्तरदायी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

11. बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा-60 का सशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा-60 में प्रयुक्त शब्द "सुलभ बोर्ड" शब्द "विवाचक बोर्ड" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

12. बिहार अधिनियम 8, 2006 की धारा-63 का सशोधन ।—उक्त अधिनियम की धारा-63 में प्रयुक्त शब्द "सुलभ बोर्ड" शब्द "विवाचक बोर्ड" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

11 जनवरी 2007

सं०-एल०जी०-1—010/2006 लेज-09—बिहार विधान-मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा dated 04th January, 2007 को अनुमत बिहार आधारभूत संरचना विकास सामार्थ्यकारी (इनेबलींग) (संशोधन) अधिनियम, 2006 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो० अकरम रिजवी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

[Bihar Act 3, 2007]

BIHAR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ENABLING (AMENDMENT) BILL, 2006

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ENABLING ACT, 2006

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Fifty seventh year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Infrastructure Development Enabling (Amendment) Act, 2006.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall be deemed to have come into force with immediate effect.

2. *Amendment in the Section-2 of the Bihar Act 8, 2006.*—After Section-2(a) of the Act, The following (a1), (a2) and (a3) will be added:—

(a1) "Act" means the Bihar Infrastructure Development Enabling Act, 2006.

(a2) "Chapter" means chapter of the Bihar Infrastructure Development Enabling Act, 2006.

(a3) "Section" means section of the said Act.

3. *Amendment in the title of the Bihar Act 8 2006.*—The word "Unabling" used in the bracket of the title of the Act and the words used in third line "special project risks" shall be substituted by the word "Enabling" and the words "Generic project risks" respectively.

4. *Amendment in the Section-1 of the Bihar Act* 8, 2006.—In the section-1 of the Act the word "enabling" will be inserted after the words "infrastructure development".

5. *Amendment in the title of chapter II of the Act* 8, 2006.—The last words used in the title of the chapter II "Constitution of Infrastructure Authority" will be deleted.

6. *Amendment in the Section-*19 *of the Bihar Act* 8. 2006.—After the subtitle "III competitive Bidding" of section-19 of the Act and before section-20, the following clauses (*i*) to (*vii*) will be added:—

(*i*) Competitive Bidding will be adopted in all projects initiated by the Government Agency or the Local Authority. The notice inviting participation will be adequately publicized by the Government Agency or the local Authority as may be prescribed.

(*ii*) The bid process will be designed to assist and ascertain technical, financial, managerial and commercial capabilities of the Developer.

(*iii*) In case of a two level process being adopted for a Mega Infrastructure project, the Government Agency or the Local Authority may require all Bidders to obtain from their prospective Lenders financial terms, expectations regarding state support, comments on the concession Agreement and other project documents (here in after called "Deviations").

(*iv*) Any Deviations proposed shall be enclosed in a separate envelope and shall not be a part of the financial or the commercial offer with regard to a project. The procedure for determining the common set of Deviations and the effect to be given to such common set of Deviations shall be as may be prescribed.

(*v*) All proposals shall be opened and evaluated at a common platform in a free and fair manner.

(*vi*) It will be open for the Government Agency or the Local Authority to adopt one or two stage process depending upon the complexity of the project.

(*vii*) The Government Agency or the Local Authority will periodically inform the infrastructure Development Authority of the progress of all projects undertaken through all the stages or bid process.

7. *Amendmtnt in the Section 26 of the Bihar Act* 8. 2006.—The words used in the section 26 of the Act "will negotiate" will be replaced by "will not negotiate".

8. *Substitution of section 40 of the Bihar Act* 8, 2006.—Any proceeding before Reconciliation Board shall be deemed to be a Judicial Proceeding under section 193 and 228 of the Indian Penal Code (XLV of the Act 1860) and the Reconciliation Board shall be deemed to be a Civil Court under section 195 and Chapter XIV of the Criminal Procedure Code.

9. *Amendment in the Section* 52 *of the Bihar Act* 8. 2006.—In the sub-section (*i*) of the section 52 the word "for" will be replaced by the word "on" sub-section (2) of the Section 52 will be replaced by the following:—

"(2) The Infrastructure Development Authority shall give an opportunity of not less than fifteen days from the date of receipt of notice to the Developer to show cause in writing why such Polluter Charges should not be levied on the Developer, before passing the order under this section."

10. *Amendment in the Section 54 of the Bihar Act 8, 2006.*—In tht last of the section 54 of the Act, the word "respotisibility" will be replaced by the word "responsible".

11. *Amendment in the Section 60 of the Act 8, 2006.*—The words "Sulabh Board" used in the Section 60 of the Act will be replaced by the words "conciliation Board".

12. *Amendment in the Section 63 of the Bihar Act 8, 2006.*—The words "Sulabh Board" used in the section 63 of the Act will be replaced by the words "conciliation Board".

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन पटना द्वारा प्रकाशित एवं
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 46—साईनो—571—400—